न्यायमूर्ति माननीय अशोक भान *और एन. के. सोधी, के समक्ष*

सेपोई/लैंस नाइक राजबीर सिंह,-याचिकाकर्ता।

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य,-उत्तरदाता।

C.W.P. No. 11235 *of* 1994

13th दिसंबर, 1995

भारत का संविधान, 1950-अनुच्छेद 226-सेना *अधिनियम,* 1950-एस. *69 और* 70-क्षेत्राधिकार-बलात्कार *का* आरोपी सैन्य व्यक्ति-चाहे *आपराधिक क्षेत्राधिकार वाले सिविल कोर्ट द्वारा मुकदमा चलाया जाए या कोर्ट मार्शल द्वारा-उस मामले की सुनवाई आपराधिक क्षेत्राधिकार के सिविल कोर्ट द्वारा की जाए क्योंकि याचिकाकर्ता घटना के समय सक्रिय सेवा में नहीं था।*

यह अभिनिर्धारित किया गया कि सेना अधिनियम की धारा 70 के तहत, किसी ऐसे व्यक्ति के खिलाफ हत्या का अपराध जो सैन्य, नौसेना या वायु सेना कानून के अधीन नहीं है, या गैर-इरादतन हत्या का अपराध जो ऐसे व्यक्ति के संबंध में हत्या या बलात्कार के बराबर नहीं है, विशेष रूप से फ़ौजदारी अदालत द्वारा विचारण योग्य है, लेकिन यदि वह व्यक्ति सैन्य कार्रवाई के समय सक्रिय सेवा में है तो उपरोक्त अपराध के संबंध में अभियुक्त पर मुकदमा चलाने के लिए दोनों फ़ौजदारी न्यायालय। एवं मार्शल के पास समवर्ती क्षेत्र अधिकार होगा। धारा 125 के तहत, विवेकाधिकार कमांडिंग अधिकारी के पास है जिस से आरोपी व्यक्ति सेवारत है या ऐसा अन्य अधिकारी जो यह तय करने के लिए निर्धारित किया जा सकता है कि किस न्यायालय के समक्ष कार्यवाही शुरू की जाएगी।

(पैरा 8)

उन्होंने आगे यह निर्णय दिया है कि याचिकाकर्ता सक्रिय सैन्य सेवा पर नहीं था, इसलिए उस पर केवल फ़ौजदारी न्यायालय द्वारा मुकदमा चलाया जा सकता है और सैन्य अधिकारियों ने उसके मामले को निर्णय के लिए फ़ौजदारी क्षेत्र अधिकार के दीवानी अदालत में सही भेजा है।

(पैरा 14)

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता डी. वी. गुप्ता के साथ *वरिष्ठ अधिवक्ता डी. एस बाली।*

जे. एस. राठी, वरिष्ठ स्थायी वकील, भारत संघ के लिए।

जे. एस. दुहान, ए. ए. जी., हरियाणा, राजबीर *सहरावत, प्रतिवादी के वकील।*

निर्णय

न्यायमूर्ति अशोक भान,

1) इस याचिका में निर्णय के लिए कानून का यह सवाल है कि बलात्कार के आरोपी सैन्य कर्मी पर आपराधिक अधिकार क्षेत्र वाली दीवानी अदालत द्वारा मुकदमा चलाया जाना है या विशेष रूप से सैन्य अधिकारियों द्वारा स्थापित कोर्ट मार्शल द्वारा ?

2) श्रीमती सरोज बाला पत्नी भोला राम निवासी गांव राजावास-की-धानी, पुलिस थाना सतनाली, तहसील नारनौल, जिला मोहिंदरगढ़ ने दिनांक 7 मई, 1992 को एफ.आई.आर. नंबर 100 दर्ज कराई। जिसमें याचिकाकर्ता पर दो भाइयों महावीर और ओम प्रकाश ने साथ मिलकर उक्त सरोज बाला के साथ बलात्कार करने का आरोप लगाया गया था। प्रथम सूचना रिपोर्ट धारा 34 आई. पी. सी. के साथ पठित धारा 342/366/376 323 के तहत थाना सतनाली में दर्ज की गई थी। याचिकाकर्ता का मामला यह है कि वह भारतीय सेना में एक सिपाही के रूप में कार्यरत है और मई 1992 के पहले/दूसरे सप्ताह में प्रतिवादी नंबर 4 के नियंत्रण में 5171 एएससी बटालियन सी/ओ 56 एपीओ की सी. कंपनी में तैनात था. याचिकाकर्ता का कहना है कि वह घटना की तारीख पर गांव में मौजूद नहीं था, हालांकि वह आकस्मिक छुट्टी पर आया था और उसे सेवा से बर्खास्त करने के उद्देश्य से इस मामले में झूठा फंसाया गया था। याचिकाकर्ता का कहना है कि सक्रिय सेवा में होने के कारण याचिकाकर्ता पर केवल सैन्य अधिकारियों के नियंत्रण और पर्यवेक्षण के तहत कोर्ट मार्शल द्वारा मुकदमा चलाया जा सकता है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, नारनौल ने मामले की प्रतिबद्धता के बाद एक पत्र संख्या 1134 दिनांक 19.10.1992 को कमांडिंग ऑफिसर, 5171 एएससी बटालियन, सी. कंपनी सी/ओ 56 एपीओ को भेजा। इस पत्र में यह लिखा था कि याचिकाकर्ता 7 मई, 1992 को एफ. आई. आर. संख्या 100 में *राज्य* बनाम महावीर आदि शीर्षक वाले मामले में आरोपी था और यह पूछा गया कि क्या सैन्य अधिकारी उपरोक्त नामित व्यक्ति पर मुकदमा चलाना चाहेंगे या अन्यथा। उपरोक्त पत्र की प्राप्ति पर ब्रिगेडियर कमांडर 71, उप क्षेत्र ने अपने आदेश संख्या *2042/1/ए3* के माध्यम से याचिकाकर्ता के मामले की सुनवाई को सिविल अथॉरिटीज यानी अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, नारनौल से सैन्य न्यायालय में स्थानांतरित करने की मंजूरी दे दी। याचिकाकर्ता के मामले को अन्य दो अभियुक्तों से अलग कर दिया गया और अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, नामौल ने

याचिकाकर्ता के मामले को कानून के अनुसार निपटने के लिए सैन्य अधिकारियों को भेज से सैन्य न्यायालय द्वारा कुछ गवाहों के बयान दर्ज किए गए थे।

3) अचानक बिना किसी कारण के कमांडिंग ऑफिसर ने एक पत्र अनुलग्नक पी -3 लिखा जिसमें मामले को सैन्य अधिकारियों से अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, नारनौल के आपराधिक न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया गया। पत्र अनुलग्नक पी-3 में कहा गया था कि सेना अधिनियम की धारा 70 के प्रावधानों के मद्देनजर, याचिकाकर्ता पर सैन्य अदालत में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता क्योंकि वह बलात्कार के मामले में शामिल था। अधिकारियों द्वारा अनुस्मारक अनुलग्नक पी-4 को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, नारनौल को भेजा गया था, क्योंकि अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा अनुलग्नक पी-3 पत्र का कोई उत्तर नहीं भेजा गया था। पत्र अनुलग्नक पी -5 के माध्यम से अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने उच्च अधिकारियों को सूचित किया कि मामला उनकी सूची में ले लिया गया है और कमांडिंग ऑफिसर 5171 एएससी बीएच (एमटी) के माध्यम से याचिकाकर्ता को तामील के लिए पुलिस को समन भेज दिया गया है।

4) याचिकाकर्ता ने वर्तमान रिट याचिका इस प्रार्थना के साथ दायर की है कि आदेश अनुलग्नक पी 3, पी 4 और पी 5 को रद्द कर दिया जाए क्योंकि याचिकाकर्ता पर नारनौल में किसी भी सामान्य आपराधिक न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता था क्योंकि याचिकाकर्ता घटना के समय सेना की सक्रिय सेवा में था। उस पर केवल सैन्य अधिकारियों द्वारा सैन्य न्यायालय में मुकदमा चलाया जा सकता था।

5) प्रतिवादियों ने अपने लिखित बयान में स्वीकार किया है कि याचिकाकर्ता अपराध के समय सिपाही के रूप में कार्यरत था। प्रतिवादियों द्वारा लिया गया पक्ष यह है कि याचिकाकर्ता

4 मई, 1992 से 2 जुलाई, 1992 तक वार्षिक अवकाश पर था। प्रतिवादियों का कहना है कि याचिकाकर्ता अपराध के समय सक्रिय सेना सेवा में नहीं था और, इसलिए, केवल फ़ौजदारी क्षेत्राधिकार के न्यायालय द्वारा ही मुकदमा चलाया जा सकता है, सैन्य अधिकारियों द्वारा नहीं।

6) पक्षों के वकील को सुना गया है।

7) सेना अधिनियम की धारा 69,3 (ii), 70,125 और 126 जो इस याचिका पर निर्णय लेने के उद्देश्य से प्रासंगिक हैं, निम्नानुसार हैंः–

69. “सिविल अपराध-धारा 70 के उपबन्धों के अध्यधीन यह है कि इस अधिनियम के अध्यधीन का कोई व्यक्ति, जो भारत में या भारत से परे किसी स्थान में सिविल अपराध करेगा इस अधिनियम के विरुद्ध अपराध का दोषी समझा जाएगा और यदि वह अपराध इस धारा के अधीन उस पर आरोपित" किया जाए तो वह सेना-न्यायालय द्वारा विचारण किए जाने के दायित्व के अधीन होगा और दोषसिद्धि पर निम्नलिखित रूप से दण्डनीय होगा, अर्थात् :-

(क) यदि अपराध ऐसा है जो भारत में प्रवृत्त किसी विधि के अधीन मृत्यु से या निर्वासन से दण्डनीय है तो वह कोड़े लगाने के दण्ड से भिन्न कोई दण्ड, जो उस अपराध के लिए पूर्वोक्त विधि द्वारा समनुदिष्ट है या ऐसा लघुतर दंड, जो इस अधिनियम में वर्णित है, भोगने के दायित्व के अधीन होगा, और

(ख) अन्य किसी दशा में वह कोड़े लगाने के दण्ड से भिन्न कोई दण्ड, जो भारत में प्रवृत्त विधि द्वारा उस अपराध के लिए समनुदिष्ट है या कारावास, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की

हो सकेगी या ऐसा लघुतर दंड, जो इस अधिनियम में वर्णित है, भोगने के दायित्व के अधीन होगा ।“

“**3** . इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा आवश्यक न हो, -

(ii) “सिविल अपराध" से ऐसे अपराध अभिप्रेत हैं जो दंड न्यायालय द्वारा विचारणीय हैं ;

“70. सिविल अपराध जो सेना-न्यायालय द्वारा विचारणीय नहीं हैं-इस अधिनियम के अध्यधीन का कोई व्यक्ति, जो ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध जो सैनिक, नौसैनिक या वायु सेना विधि के अध्यधीन नहीं है, हत्या का या ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध, हत्या की कोटि में न आने वाले आपराधिक मानव वध का या ऐसे व्यक्ति से बलात्संग करने का अपराध करेगा इस अधिनियम के विरुद्ध किसी अपराध का दोषी तब के सिवाय न समझा जाएगा और सेना-न्यायालय द्वारा उसका विचारण तब के सिवाय नहीं किया जाएगा जब कि वह उक्त अपराधों में से कोई अपराध-

(क) सक्रिय सेवा पर रहते समय करता है, अथवा
(ख) भारत के बाहर किसी स्थान पर करता है, अथवा
(ग) ऐसी सीमांत चौकी पर करता है जो केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट की गई हो ।“

125. दण्ड-न्यायालय और सेना-न्यायालय में से किसी एक का चुनाव-जब कि दण्ड-न्यायालय और सेना-न्यायालय में से हर एक किसी अपराध के सम्बन्ध में अधिकारिता रखता है तब यह

विनिश्चित करना कि कार्यवाही किस न्यायालय के समक्ष संस्थित की जाए उस सेना, सेना-कोर, डिवीजन या स्वतन्त्र ब्रिगेड का, जिसमें अभियुक्त व्यक्ति सेवा कर रहा है, समादेशन करने वाले आफिसर के या ऐसे अन्य आफिसर के, जो विहित किया जाए, विवेकाधीन होगा और यदि वह आफिसर विनिश्चित करता है कि वे सेना-न्यायालय के समक्ष संस्थित की जाएं तो यह निदेश देना कि अभियुक्त व्यक्ति को सैनिक अभिरक्षा में निरुद्ध किया जाए उसके विवेकाधीन होगा ।

126. दण्ड-न्यायालय की यह अपेक्षित करने की शक्ति कि अपराधी परिदत्त किया जाए-'

(1) जब कि अधिकारिता रखने वाले दण्ड-न्यायालय की यह राय है कि किसी अभिकथित अपराध के बारे में कार्यवाहियां उसी के समक्ष संस्थित की जानी चाहिएं तब वह लिखित सूचना द्वारा धारा 125 में निर्दिष्ट आफिसर से अपेक्षा कर सकेगा कि वह स्वविकल्प में या तो अपराधी को विधि के अनुसार उसके विरुद्ध कार्यवाही की जाने के लिए निकटतम मजिस्ट्रेट को परिदत्त कर दे या तब तक के लिए कार्यवाहियों को मुल्तवी कर दे जब तक केन्द्रीय सरकार को निर्देश लम्बित रहे ।

(2) ऐसे हर मामले में उक्त आफिसर या तो उस अध्यपेक्षा के अनुपालन में अपराधी को परिदत्त कर देगा या इस प्रश्न को कि कार्यवाहियां किसी न्यायालय के समक्ष संस्थित की जानी हैं केन्द्रीय सरकार के अवधारण के लिए तत्क्षण निर्देशित करेगा जिसका कि ऐसे निर्देश पर आदेश अन्तिम होगा ।

8) सेना अधिनियम की धारा 70 के तहत, ऐसे व्यक्ति के खिलाफ हत्या का अपराध जो सैन्य, नौसेना या वायु सेना कानून के अधीन नहीं है, या गैर इरादतन हत्या का अपराध या ऐसे व्यक्ति के संबंध में बलात्कार का मुकदमा विशेष रूप से एक आपराधिक न्यायालय द्वारा चलाया जा सकता है। लेकिन यदि व्यक्ति उपरोक्त अपराध के समय सक्रिय सेवा पर है

तो अपराध के संबंध में आरोपी पर मुकदमा चलाने के लिए आपराधिक न्यायालय और कोर्ट मार्शल दोनों के पास अपराध के संबंध में आरोपी पर मुकदमा चलाने के लिए समवर्ती अधिकार क्षेत्र होगा। धारा 125 के तहत, विवेकाधिकार उस अधिकारी कमांडिंग के पास छोड़ दिया गया है जिसमें आरोपी व्यक्ति सेवारत है या ऐसे अन्य अधिकारी के पास है जिसे यह तय करने के लिए निर्धारित किया जा सकता है कि कार्यवाही किस न्यायालय के समक्ष शुरू की जाएगी।

9) निर्णय लिया जाने वाला एकमात्र प्रश्न यह है कि क्या याचिकाकर्ता अपराध के समय सक्रिय सेवा में था या नहीं?

10) 'सक्रिय सेवा को सेना अधिनियम की धारा 3 (खंड I) में परिभाषित किया गया है जो इस प्रकार हैः–

(i) "सक्रिया सेवा" से जब कि वह उस व्यक्ति के सम्बन्ध में प्रयुक्त है, जो इस अधिनियम के अध्यधीन है वह समय अभिप्रेत है जिसके दैरान वह व्यक्ति-

(क) ऐसे बल से संलग्न है या उसका भाग है जो शत्रु के विरुद्ध संक्रियाओं में लगा है, अथवा

(ख) ऐसे देश स्थान में जो शत्रु द्वारा पूर्णतः या भागतः दखल में है, सैनिक संक्रियाओं में लगा है या उसकी ओर प्रगमन पथ पर है, अथवा

(ग) ऐसे बल से संलग्न है या उसका भाग है जो किसी विदेश पर सैनिक दखल रखता है ;

11) याचिकाकर्ता न तो किसी ऐसे बल से जुड़ा था या उसका हिस्सा था जो किसी दुश्मन के खिलाफ ऑपरेशन में लगा हुआ था, या जो किसी दुश्मन के पूर्ण या आंशिक रूप से कब्जे वाले देश या स्थान पर सैन्य अभियानों में शामिल नहीं था या मार्च की लाइन पर नहीं था और किसी ऐसे बल से जुड़ा या उसका हिस्सा नहीं था जो किसी विदेशी देश के सैन्य कब्जे में था। इन परिस्थितियों में याचिकाकर्ता. सक्रिय सेवा पर नहीं माना जा सकता। इसलिए, उनका मामला विशेष रूप से सेना अधिनियम की धारा 70 के तहत आपराधिक क्षेत्राधिकार वाले सिविल न्यायालय द्वारा विचारणीय था।

12) याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि केंद्र सरकार ने संविधान की धारा 9 के तहत प्रदत्त अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए सेना अधिनियम ने एक अधिसूचना सं. एस. आर. ओ. 6-ई दिनांक 28 नवंबर, 1962 ने सक्रिय सेवा का दायरा बढ़ाते हुए घोषणा की कि सेना अधिनियम के अधीन सभी व्यक्ति जहां भी सेवा कर रहे हों, उन्हें सेना अधिनियम के अर्थ के भीतर सक्रिय सेवा पर माना जाएगा।

13) इसके विपरीत, प्रतिवादी के वकील ने तर्क दिया कि 28 नवंबर, 1962 की अधिसूचना, जिसका ऊपर उल्लेख किया गया है, को बाद की अधिसूचना संख्या एस.आर.ओ. द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया है। 17 ई दिनांक 5 सितम्बर 1977, जिसका प्रभाव निम्नलिखित है:-

> “एस.आर.ओ. 17(ई)- सेना अधिनियम, 1950 (1950 का 46) की धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और रक्षा मंत्रालय में भारत सरकार की अधिसूचना संख्या एसआरओ 6-ई, दिनांक 28 नवंबर को अधिक्रमण करते हुए, 1962, केंद्र सरकार एतद्द्वारा घोषणा करती है कि उस अधिनियम के अधीन सभी व्यक्ति जो

उसकी धारा 3 के खंड (i) के तहत सक्रिय सेवा पर नहीं हैं, नीचे निर्दिष्ट क्षेत्रों में सेवा करते समय, अर्थ के भीतर सक्रिय सेवा पर माने जाएंगे। उक्त अधिनियम या उस समय लागू किसी अन्य कानून के प्रयोजन के लिए उस अधिनियम का :

(1) राज्यों के -

(a) जम्मू और कश्मीर

(b) मणिपुर

(c) नगालैंड

(d) त्रिपुरा

(e) सिक्किम;

(2) केंद्र शासित प्रदेश -

(a) अंडमान और निकोबार द्वीप समूह

(b) अरुणाचल प्रदेश

(c) मिजोरम;

(3) जिला -

A. उत्तर प्रदेश राज्य में उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़;

B. हिमाचल प्रदेश राज्य में लाहौल और स्पीति, किन्नौर और कुल्लू।

14) चूंकि अधिसूचना 4 दिनांक 28 नवंबर 1962 को हटा दिया गया है, याचिकाकर्ता के वकील द्वारा उक्त अधिसूचना पर निर्भरता पूरी तरह से गलत है। याचिकाकर्ता को 5 सितंबर, 1977 की बाद की अधिसूचना के साथ पढ़ी गई सेना अधिनियम की धारा 3 (i) की परिभाषा के अनुसार सक्रिय सेवा पर नहीं माना जाएगा, क्योंकि वह धारा 3 में उल्लिखित किसी भी क्षमता में सेवा नहीं कर रहा था। (i) सेना अधिनियम, या राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों या जिलों की बाद की अधिसूचना दिनांक 5 सितंबर, 1977 में संदर्भित। चूंकि याचिकाकर्ता सक्रिय सैन्य सेवा पर नहीं था, इसलिए उस पर केवल आपराधिक मामले वाले सिविल न्यायालय द्वारा ही मुकदमा चलाया जा सकता था। अधिकार क्षेत्र और सैन्य अधिकारियों ने उसके मामले को मुकदमे के लिए आपराधिक क्षेत्राधिकार के सिविल न्यायालय में भेज दिया है।

15) ऊपर दर्ज किए गए कारणों के लिए, हम इस याचिका में कोई बल नहीं पाते हैं जिसे लागत के रूप में बिना किसी आदेश के खारिज करने का आदेश दिया गया है।

जे एस टी।

अस्वीकरण :

स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

अभिनव गर्ग

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

फ़रीदाबाद, हरियाणा